न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 11/2021
GCMS NO. : 2021/57

-:: प्रार्थीगण ::-

1. गोपालसिंह पुत्र हीरसिंह
2. राजूसिंह पुत्र हीरसिंह के का.मु.
   2/1. सुरज कंवर पत्नि राजूसिंह
   2/2. यशवन्त सिंह पुत्र राजूसिंह
   2/3. दिक्षित सिंह पुत्र राजूसिंह
   2/4. आशा कंवर पुत्री राजूसिंह
   2/5. चन्द्रिका पुत्री राजूसिंह

जतियान- राजपुरोहित, निवासीगण- बलाडा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।
नोट- सायल संख्या 2/2 से लगायत 2/5 नाबालिग जरिये कुदरती बलिया माता सुरज कंवर पत्नि राजूसिंह।

3. गबरूराम पुत्र हजारीराम के का.मु.
   3/1. कालूराम पुत्र गबरूराम
   3/2. गोपाल पुत्र गबरूराम
   3/3. भंवरी पुत्री गबरूराम
   3/4. पुष्पा पुत्री गबरूराम
   3/5. मंजू पुत्री गबरूराम
   3/6. मधु पुत्री गबरूराम
   3/7. गोदावरी पत्नि गबरूराम

जतियान- तेली, निवासीगण- बलाडा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0। हाल विजय नगर रोड़ सन्तोषी माता मन्दिर के पास गणेश कॉलोनी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. रमतु देवी पत्नि गणेशराम जाति- कुमावत निवासी-नया गांव प्रतापपुरा तह.जैतारण जिला-पाली।
2. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 25/03/2021

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 26/10/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान स[illegible] की सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व [illegible] बलाड़ा [illegible] हल्का बलाड़ा भू अभिलेख क्षैत्र बलाड़ा तहसील-जैतारण जि[illegible] स्थित [illegible]सका विवरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली

निम्नानुसार है। खसरा नम्बर 1213 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1214 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1215 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1216 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1218 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा किस्म सभी बारानी दोयम कुल खसरा 05 कुल रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा लगान 13.88 आई हुई है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि सायलगण एवं प्रतिसायल संख्या 01 की संयुक्त व सामलाती है। जिसमें सायल संख्या 01 व 02 का 1/3 वा हिस्सा, इसी प्रकार सायल संख्या 03 का 1/3 वा हिस्सा, तथा गैरसायल संख्या 01 का 1/3 वा हिस्सा है। जिसकी चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। विवादित भूमि में सायल संख्या 01 व 02 का 1/3 वा हिस्सा है इसी प्रकार सायल संख्या 03 का 1/3 वा हिस्सा है तथा गैरसायल संख्या 01 का 1/3 वा हिस्सा है। इन्ही हिस्सो माफिक सायलान एवं गैरसायल संख्या 01 वर्षो पूर्व से मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा कालान्तरण में इसी विवादित भूमि खसरा 1216 व 1218 की भूमि के पास से होकर ग्राम आसरलाई व बलाड़ा के लिये निकलने वाली टुकड़ा रोड़ को चौड़ा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा जरिये भूमि अवाप्ति बाबत कार्यवाही भी की जा रही है। जिससे पक्षकारो के बीच इस भूमि नाप चौप, मांठ व मौका स्थिति को लेकर विवाद भी हो रहा है। साथ ही गैरसायल संख्या 01 इस भूमि में से सड़क के चिपते हुये विशिष्ट भू-भाग को अपना होना बताकर उस विशिष्ट भू-भाग को ही जरिये रहन बैचान वसियत के अन्य हस्तान्तरण करने को भी आमादा है। जिससे पक्षकारों में विवाद है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित हिस्से अनुसार सायलान एवं गैरसायल संख्या 01 का मौके पर कब्जा व काश्त है । उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच पिछले कई वर्षो पूर्व बंटी हुई है। लेकिन भूमि के बंटवाड़े का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। इस प्रकार से उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने की वजह से गैरसायल संख्या 01 आये दिन इस भूमि के नाप-चौंप सीमा व माठ को लेकर सायलान से विवाद कर रहे है। जबकि सायलान अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की इस भूमि पर काली मिट्टी व देशी खा आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहते है एवं अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहते है। लेकिन गैरसायल संख्या 01 सहमत नहीं हो रहे है। इस वजह से सायलान इस विवादित भूमि के बाबत गैरसायल संख्या 01 से इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउडण्स के बंटवाड़ा करना चाह रहे है। लेकिन गैरसायल संख्या 01 इसमें सहमत नहीं [illegible] है तथा दिनांक 15.03.2021 को सायलान ने गैरसायल संख्या [illegible] कि इस भूमि के नाप चोप व रास्ता की भूमि को लेकर भविष्य में कोई [illegible] नहीं हो इस वजह से आप इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें। लेकिन गैरसायल संख्या 01 आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गये है एवं गैरसायल संख्या 01 ने सायलान को ऐलानिया कथन किया कि वह बंटवाड़ा नही करेगे। इस प्रकार विवादित भूमि सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होकर मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। उसके बावजूद भी गैरसायल संख्या 01 विवाद कर रहे है। इस वजह से सायलान अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने के वैधानिक अधिकारी है लेकिन गैरसायल संख्या 01 उसमें सहमत नहीं हो रहे है। जिस पर सायलान के पास इस हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाड़ा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायल संख्या 01 के सादर पेश है। विवादित भूमि सायलान व गैरसायल संख्या 01 के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पक्षकारों के बीच मौके पर पिछले कई वर्षो से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है एवं इस भूमि के आवागमन के लिये भी रास्ते की जगह भी सामलाती छोड़ी हुई है लेकिन गैरसायल संख्या 01 सायलान के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप व दखलन्दाजी करते हुये सीमा विवाद कर रहे है। तथा सायलान को उनके हक हिस्से से कम भूमि पर रखना चाहते हुये सायलान के हक हिस्से की भूमि गैरसायल संख्या 01 दबा लेना चाह रहे है। इस बाबत दिनांक 15.03.2021 को गैरसायल संख्या 01 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करने से इंकार करते हुये सायलान को इस खातेदारी भूमि से बेकाबिज करने की ऐलानिया धमकी भी दी है। तथा सायलान को उसके कब्जे काश्त भूमि से बेकाबिज कर देने बाबत ऐलानिया कथन भी किया है जिस पर सायलान ने गैरसायल संख्या 01 से समझाईश की लेकिन गैरसायल संख्या 01 के नहीं मानने से पक्षकारो के बीच भारी विवाद होकर मल्टीपीसीटी ऑफ प्रोसिडिंग होने का अंदेशा है । साथ ही यदि उक्त गैरसायल जबरदस्ती सायलान की कब्जा सुदा भूमि पर अपना कब्जा कर लेते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायल संख्या 01 के पेश है। गैरसायल संख्या 02 भूमिधारी राजस्थान सरकारी के प्रतिनिधि हैं जिसके बाबत् धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार सायलान का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है कारण कि विवादित भूमि मे से सायल संख्या 01 व 02 का 1/3 वा हिस्सा व सायल संख्या 03 का 1/3 वा हिस्सा की भूमि सायलान की खातेदारी काश्त की शामलाती भूमि है जिसका उपयोग-उपभोग एक मात्र सायलान ही करते आ रहे है [illegible] सायलान को हक अधिकार प्राप्त है यदि इस भूमि पर से बिना किसी हक व अधिकार के ही गैरसायलान सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

को बेकाबिज कर बाधा व अड़चन पैदा करते है तथा सायलान के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है, तथा इस वादग्रस्त के विशिष्ट भू-भाग को बिना बंटवाड़ा करवाये ही अन्य हस्तान्तरण करते तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के पेश अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित भूमि में सायल संख्या 01 व 02 का 1/3 वा हिस्सा व सायल संख्या 03 का 1/3 वा हिस्सा की भूमि पर सायलान बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें गैरसायल संख्या 01 स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। साथ ही इस सामलाती के विशिष्ट भू-भाग को जरिये रहन बैचान वसियत के अन्य हस्तान्तरण भी नही करे। ऐसे करने से गैरसायल संख्या 01 को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय व आदेश बहक सायलान विरुद्ध गैरसायल संख्या 01 के जारी फरमावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनो का जबाब है कि इस पद मे अंकित कृषि भूमि पक्षकारान् की मौजा बलाडा स्थित है। माफिक हिस्सेनुसार हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज है, जो सही है। परन्तु उक्त का भूमि मौके पर बंटवाडा हो रखा है व खेतो के बीच मांठे कायम है तथा गैरसायलान् संख्या 1 द्वारा जबाब के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे बताये काबिज होकर काश्त करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि पद संख्या 1 वर्णित कृषि भूमि जमाबन्दी मे खातेदारान् की सामलाती खातेदारी मे दर्ज है परन्तु मौके पर उक्त भूमि के मूल खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा होकर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर उतरदाता गैरसायलान् 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। नजरी नक्शे मे बताये अनुसार उतरदाता गैरसायलान् का खसरा नम्बर 1218 रकबा 7-13 बीघा व खसरा नम्बर 1216 रकबा 7-10 बीघा भूमि अर्थात् कुल रकबा 15-03 बीघा पर कब्जा काश्त है जिसे नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया है तथा सायल संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 1215 रकबा 12-17 बीघा तथा खसरा नम्बर 1213 रकबा 9-10 बीघा मे से 2-03 बीघा भूमि अर्थात कुल रकबा 15 बीघा भूमि [illegible] नक्शे मे हरे रंग से दर्शायी है तथा सायल संख्या 3 खसरा [illegible] -10 बीघा के 7-07 बीघा तथा खसरा नम्बर 1213 रकबा [illegible] कुल रकबा 14-13 बीघा भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली

कब्जा है जिसे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया है। इसी हिस्सेनुसार काबिज होकर खातेदारान् का मौके पर कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि के 1/3 हिस्से की भूमि को उतरदाता गैरसायलान् ने उक्त भूमि के मूल खातेदार गीत पत्नी हीरालाल, संतोष, रेखा पुत्री हीरालाल तेली से दिनांक 05/10/2009 को क्रय कर मौके पर नक्शे मे बताये पीले रंग की भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त किया गया, जो भूमि आसरलाई से बलाडा जाने वाली रोड के पास स्थित है। उक्त भूमि पूर्व मे उबड खाबड थी जिस पर लाखो रुपये खर्च कर समतल किया, खाद बीज डालकर उपजाउ किया, पेड पौधे लगाये व मांठे कायम की, तारबन्दी की, वर्तमान मे उक्त भूमि के पास राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सडक निकाली जा रही है व वर्तमान मे उसकी कीमते बढने के कारण सायलान् की नियत में खोट आने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थनापत्र पेश किया। इसी प्रकार सायल संख्या 1 व 2 की उक्त नजरी नक्शे मे बतायी हरे रंग की भूमि पैतृक पुश्तैनी भूमि नही होकर सायल संख्या 1 व 2 के पिता हरीसिंह ने मूल खातेदार बाबू पुत्र हजारी तेली से गैरसायलान् संख्या 1 के क्रय करने के बाद खरीद की जहां मूल खातेदार बाबू ने कब्जा दिया वही पर वर्तमान मे सायल संख्या 1 व 2 काबिज है। इसी प्रकार सायल संख्या 3 जो कि उक्त कृषि भूमि के मूल खातेदार है जिनका मौके पर लाल रंग से बतायी भूमि पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त भूमि सामलाती खातेदारी की न होकर खातेदारान के बीच मौके पर बंटवाडा हो रखा है तथा खेतो के बीच मांठे कायम है। सायलान् व गैरसायलान के बीच नापचौप को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है बल्कि गैरसायलान् संख्या 1 के हिस्से की भूमि के पास राज्य सरकार द्वारा सडक निर्माण प्रस्तावित होने से राज्य सरकार द्वारा उसकी भूमि में से सडक निर्माण हेतू भूमि अवाप्त हो रही है जिसका मुआवजा गैरसायलान् संख्या 1 को मिल रहा है उसी बात को लेकर सायलान् की नियत में खोट आने के कारण झूठे तथ्यो पर आधारित यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाता गैरसायलान् ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि के किसी बिशिष्ठ भू-भाग का बेचान नही कर अपने कब्जे काश्त की भूमि में से ही सडक निर्माण हेतू भूमि अवाप्त हो रही है। उतरदाता गैरसायलान् ने मूल खातेदार गीता से जरिये बेचान रजिस्ट्री के क्रय की उसके पूर्व ही उक्त भूमि की विक्रेता गीतादेवी ने इकरारनामा भी गैरसायलान् संख्या 1 के पक्ष मे इस आशय का पेश किया कि मेरा खसरा नम्बर 1216 व 1218 की भूमि पर कब्जा है उसी भूमि बाबत् यह इकरारनामा भी केता/गैरसायलान् संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 23/09/2009 को निष्पादित किया। जिससे भी यह स्पष्ट है कि गैरसायलान् संख्या एक के पास कब्जा व काश्त मूल खातेदार का जहां पर था उसी स्थान पर गैरसायलान् संख्या 1 को दिया इस कारण से उत्तरदाता गैरसायलान् को अपने कब्जे काश्त की भूमि को बेचान हस्तान्तरण वसीयत/अन्तरण करने [illegible] कानूनी अधिकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे दर्ज कथनो [illegible] संख्या एक में वर्णित भूमि मे उत्तरदाता गैरसायलान् अपने [illegible] मे बतायेनुसार 1/3 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली

की भूमि पर कब्जा काश्त है जिसका बंटवाडा होकर मौके पर खेतो के बीच मांठे कायम है। उत्तरदाता गैरसायलान् ने अपने नजरी नक्शे मे बतायेनुसार खातेदारान् मौके पर काबिज है तथा सायलान् अपने हिस्से की भूमि में कुछ भी करे इससे उत्तरदाता गैरसायलान् को कोई सरोकार नहीं है, न ही उक्त भूमि को लेकर कोई वाद विवाद है तथा दिनांक 15/03/2021 को सायलान् ने उक्त भूमि के नापचौप करवाने व बंटवाडा करवाने बाबत् नहीं कहा तथा न ही कोई विवाद है तथा सायलान् को गैरसायलान् ने कभी कोई कब्जे काश्त को लेकर धमकी आदि नही दी है सायलान् अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, सायलान् कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी न तो की है न ही मंशा रखते है इसलिए सायलान् उतरदाता गैरसायलान् के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। यह है कि एक खातेदार गैरसायलान् संख्या 1 का अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है यदि सामलाती खातेदारी की भूमि भी है तो एक हिस्सेदार को अपनी कृषि भूमि को अपनी जायज जरूरत हेतू बेचान अन्तरण करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। इसके अतिरिक्त भी गैरसायलान् संख्या 1 रमतूदेवी का पति गणेशराम को वर्तमान मे कैंसर की बीमारी है जिसके ईलाज ऑपरेशन आदि के लिये रूपयों की आवश्यकता होने से अपनी भूमि को अन्तरण करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। गणेशराम की कैंसर के ईलाज बाबत् दस्तावेज पेश है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि का उतरदाता गैरसायलान् द्वारा बताये नजरी नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त करते है तथा मौके पर उक्त भूमि का बंटवाडा हो रखा है। सायलान् के खेतो मे जाने हेतू मौके पर रास्ता है सायलान् की कब्जे काश्त की भूमि में उत्तरदाता गैरसायलान् ने कभी दखल व दस्तन्दाजी नहीं की तथा न ही विवाद किया है सायलान् के पास 1/3, 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज है न ही उनके हक हिस्से की भूमि को उत्तरदाता गैरसायलान् दबाना चाहते है तथा न ही सीमा को लेकर विवाद कर रहे है। सायलान् ने दिनांक 15/03/2021 को उत्तरदाता गैरसायलान् को कभी भी कानूनी बंटवाडा हेतू नही कहा न ही उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी आदि दी है इसलिए उनको किसी प्रकार की असीम हानि होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है इसलिए उत्तरदाता गैरसायलान् के विरूद्ध सायलान् कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 मे दर्ज कथन कानूनी होने से जबाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि जबाब प्रार्थनापत्र में दर्ज कथनो, परिस्थितियो एवं संलग्न नजरी नक्शे व दस्तावेजात एवं मौके कब्जा काश्त से सायलान् की बजाय उत्तरदाता गैरसायलान् के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से प्रमाणित है। सायलान् द्वारा प्रस्तुत झूठे [illegible] तथ्यों पर आधारित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार से [illegible] के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो अपूर्णिय क्षति [illegible] उत्तरदाता गैरसायल को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

होना सुनिश्चित है एवं गैरसायल संख्या 1 अपने साम्पतिक हक हकूको एवं शामलाती अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगी तथा शामलाती खातेदारी की भूमि में एक खातेदार काश्तकार के विरुद्ध दुसरा सहखातेदार काश्तकार किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है। इसलिए सायलान् के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दू सायलान् की बजाय उत्तरदाता गैरसायल के पक्ष में प्रमाणित होने से सायलान् उत्तरदाता गैरसायल विरुद्ध किसी प्रकार कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नही होने से सायलान् का प्रार्थनापत्र म खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2073-76 ग्राम बलाडा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना-पत्र में कथन किये है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1216 व 1218 की भूमि के पास से होकर भूमि पर भूमि अवाप्ति बाबत् कार्यवाही की जा रही है साथ ही गैर-सायल संख्या 1 इस भूमि में से सड़क पर चिपते हुए विशिष्ट भू-भाग को अपना होना बताकर हस्तांतरण करने को आमादा है। अप्रार्थी/गैरसायल संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र व नजरी नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैर-सायल वादग्रस्त आराजी जो कि संयुक्त, सामलाती भूमि है में सड़क से लगते विशिष्ट भू-भाग पर अपना कब्जा व हक-अधिकार निहित होना बता रहे है। साथ ही गैरसायल द्वारा उक्त भूमि का बेचान, हस्तांतरण, वसीयत/अंतरण करने के पूर्ण कानूनी अधिकार होने के कथन किये है। जबकि संयुक्त सामलाती आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का प्रत्येक हिस्से पर समान हक-अधिकार निहित होता है। एक सह-खातेदार द्वारा सामलाती आराजी के विशिष्ट भू-भाग के हस्तांतरण से अन्य सह-खातेदारों के हित निश्चित ही प्रभावित होंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः-** चुंकि प्रथम बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है साथ ही सामलाती आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार को अपने हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है साथ ही यदि गैरसायल/अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा सामलाती आराजी के विशिष्ट भू–भाग का हस्तांतरण किया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जबकि सामलाती, संयुक्त आराजी के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह–खातेदार का समान हक–अधिकार निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विव्रम अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाना एवं उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना विधि–संगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा भू अभिलेख क्षैत्र बलाड़ा तहसील–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 1213 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1214 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1215 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1216 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1218 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा किस्म सभी बारानी दोयम कुल खसरा 05 कुल रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा लगान 13.88 के विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/10/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:02 IST
Reason: SelfAttested